राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1956/2024

सत्य नारायण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, होमगार्ड्स, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.06.2024
आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में प्लाटून कमाण्डर से कंपनी कमाण्डर पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 21.01.2016 को चुनौती दी गई है (अनुलग्नक–1) एवं अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 में कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति देने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्लाटून कमाण्डर के पद पर होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.07.2000 के द्वारा प्लाटून कमाण्डर के पद पर हुई थी (अनुलग्नक–7) और अग्रिम पदोन्नति कम्पनी कमाण्डर की होती है। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध कम्पनी कमाण्डर के पद के लिये पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें कुल 14 पद (8 पद सामान्य वर्ग, 1 पद एससी वर्ग एवं 5 पद एसटी वर्ग) रिक्त थे (अनुलग्नक–8)। उक्त पद

पर पदोन्नति के लिये तैयार पात्रता सूची में 52 अभ्यर्थी योग्य पाये गये, जिसमें 42 अभ्यर्थी उपस्थित हुये। 31 अभ्यर्थी असफल घोषित हुये, केवल मात्र 11 अभ्यर्थी जिसमें अपीलार्थी भी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ (अनुलग्नक–9 एवं 10)। लिखित परीक्षा उपरांत मात्र 9 अभ्यर्थी आदेश दिनांक 15.05.2025 के द्वारा कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत किये गये, परंतु अपीलार्थी का नाम पदोन्नति सूची में नहीं जोडा गया (अनुलग्नक–11), जिससे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9067/2018 प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2015–16 में कुल 12 रिक्तियां विज्ञापित की गई, जिसमें 5 पद अनुसूचित जनजाति, 2 पद अनुसूचित जाति एवं 5 पद अनारक्षित वर्ग हेतु आदेश दिनांक 12.10.2015 द्वारा विज्ञापित किये गये (अनुलग्नक–12)। उनका तर्क है कि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण घोषित है और प्रत्यर्थी विभाग उसे रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु जोर नहीं दे सकता और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध गलत तरीके से परीक्षा में शामिल हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरह के समान प्रकरण में अधिकरण द्वारा झब्बर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 22.10.1999 में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया गया है कि पूर्व में तैयार सूची पूरी तरह से समाप्त (Exhaust) होने तक जारी रहेगी एवं इस प्रकरण में अपीलार्थी को पदोन्नति देने हेतु अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया (अनुलग्नक–13)। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 22.10.1999 को चुनौती देते हुये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दायर रिट याचिका संख्या SBCWP No. 409/2001 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2003 द्वारा खारिज किया गया (अनुलग्नक–14) एवं अधिकरण के आदेश को उचित माना। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 19.10.2005 जारी किया एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई कि लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार अनुमोदित सूची से पदोन्नति प्रदान की जावे एवं नई रिक्तियां पूर्व सूची पूरी (Exhaust) होने के बाद विज्ञापित की जायेगी (अनुलग्नक–15)। अपीलार्थी चूंकि वर्ष 2014–15 की पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अतः वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में वर्ष 2014–15 की अनुमोदित सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्र है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने गलत रूप से वर्ष

2015–16 की पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जबकि पूर्व में पदोन्नति हेतु अनुमोदित सूची पूरी (Exhaust) नहीं हुई थी। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी भी वर्ष 2014–15 में परीक्षा उत्तीर्ण सूची के आधार पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है। अपीलार्थी ने विभागीय निर्देश पर वर्ष 2015–16 की पदोन्नति की लिखित परीक्षा में भाग लिया, परंतु लिखित परीक्षा में उचित अंक प्रदान नहीं करने के कारण अनुत्तीर्ण कर दिया। अपीलार्थी ने उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां आरटीआई के अंतर्गत दिनांक 09.01.2019 को प्राप्त की (अनुलग्नक–16)। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने महानिदेशक राजस्थान होमगार्ड्स को दिनांक 05.12.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उत्तर पुस्तिकाओं की उचित जांच एवं उचित अंक प्रदान करने हेतु निवेदन किया एवं पदोन्नति हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर विचार नहीं करने पर पुनः दिनांक 16.07.2021 एवं 22.03.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये (अनुलग्नक–2 एवं 6)। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13994/2015 भी प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.05.2024 के द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को निर्देशित किया (अनुलग्नक–17), जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.01.2016 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध कंपनी कमाण्डर के पद पर वर्ष 2014–15 में पदोन्नति हेतु अनुमोदित सूची के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जावे और उससे कनिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति तिथि से समस्त पारिणामिक लाभ भी दिये जावें। विकल्प में वर्ष 2015–16 हेतु आयोजित पदोन्नति परीक्षा की अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की जाकर उसे वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति परीक्षा परिणाम के आधार पर सफल घोषित होने पर चयन किया गया। तत्पश्चात् वरिष्ठता सूची जारी की गई और रिक्त पद के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी

गई। वर्ष 2014–15 के लिये 14 पद पदोन्नति हेतु रिक्त थे, जिसमें 8 अनारक्षित, 1 एससी और 5 एसटी वर्ग के थे। पदोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की गई। पदोन्नति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में 42 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें 31 असफल घोषित किये गये एवं अपीलार्थी सहित 11 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये। सामान्य वर्ग के 8 अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक 15.05.2015 द्वारा पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची अनुसार 9वीं रैंक हासिल की जबकि अनारक्षित वर्ग की कंपनी कमाण्डर के 8 पद रिक्त थे एवं रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं आने से उसका नाम पदोन्नति सूची में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका SBCWP No. 9067/2018 लंबित है। प्रस्तुत अपील वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के संबंध में है। वर्ष 2015–16 में आदेश दिनांक 12.10.2015 द्वारा कुल 12 रिक्तियां विज्ञापित की गई, जिसमें 5 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति एवं 5 अनारक्षित वर्ग हेतु है। दिनांक 23.07.2023 का कोई आदेश अपील पर प्रस्तुत नहीं करने से यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है। विभाग में वर्ष 2005 में पदोन्नति हेतु स्कीम जारी की गई, जिसके अनुसार विभागाध्यक्ष निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रक्रियानुसार पदोन्नति परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी। सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जायेगी। जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है एवं उसके पश्चात् अगली पदोन्नति परीक्षा ली गई। वर्ष 2014–15 में 14 रिक्त पदों हेतु आयोजित पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी उत्तीर्ण रहा एवं वरिष्ठता सूची के अनुसार 9वीं रैंक पर रहा। जबकि विभाग में सामान्य वर्ग हेतु 8 पद रिक्त थे। रिक्त सभी पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके लिये परीक्षा आयोजित की गई थी। आगामी वर्ष में सामान्य वर्ग की 5 रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई एवं कोई आरक्षित सूची तैयार नहीं की गई।

जब्बर सिंह का प्रकरण अपीलार्थी के प्रकरण के समान नहीं है। वर्ष 1998–99 में पदोन्नति परीक्षा में जब्बर सिंह को आरक्षित सूची में शामिल किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति परीक्षा प्रक्रियानुसार पदोन्नति परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 की पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने की लिखित सहमति दी एवं उसके आधार पर परीक्षा में भाग

लिया। परंतु मात्र 14.5 अंक प्राप्त करने के आधार पर असफल रहा एवं पदोन्नति नहीं दी गई। रिट याचिका 409/2001 का अपीलार्थी से संबंध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2005 जारी किया गया, जिसके अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई कि लिखित परीक्षा के पश्चात् पदोन्नति अनुमोदित सूची से की जायेगी एवं नयी रिक्तियां पूर्व में तैयार सूची के पूर्ण (Exhaust) होने के पश्चात् विज्ञापित की जायेगी। वर्ष 2015–16 की पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी ने भाग लिया एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका की समुचित जांच के पश्चात् अंक प्रदान किये गये हैं। अपीलार्थी को पूर्णतः पारदर्शी तरीके से अंक प्रदान किये गये हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नियमानुसार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.07.2019, 13.06.2022, 07.12.2022 एवं 13.10.2022 का जवाब प्रमुख सचिव, गृह (ग्रुप–2) विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री को भेजे गये हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्लाटून कमाण्डर के पद पर होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.07.2000 के द्वारा प्लाटून कमाण्डर के पद पर हुई थी और अग्रिम पदोन्नति कम्पनी कमाण्डर की होती है। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध कम्पनी कमाण्डर के पद के लिये पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें कुल 14 पद (8 पद सामान्य वर्ग, 1 पद एससी वर्ग एवं 5 पद एसटी वर्ग) थे और उक्त पद पर पदोन्नति के लिये 52 अभ्यर्थी योग्य पाये गये, जिसमें 42 अभ्यर्थी उपस्थित हुये। 31 अभ्यर्थी असफल घोषित हुये, केवल मात्र 11 अभ्यर्थी जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुये। लिखित परीक्षा उपरांत सामान्य वर्ग के 8 अभ्यर्थी कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत किये गये, परंतु अपीलार्थी का नाम सामान्य वर्ग के सफल अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची में 9वीं रैंक पर होने से पदोन्नति सूची में नहीं जोडा गया, जिससे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9067/2018 प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। अपीलार्थी भी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण की एवं सामान्य वर्ग के सफल अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची में 9वें स्थान पर रखा गया।

अधिकरण द्वारा समान प्रकरण अपील संख्या 201/1998 जब्बर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 22.10.1999 में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया गया है कि आरक्षित सूची के अभ्यर्थी को नियमानुसार पदोन्नति देने पर विचार किया जावे एवं उसी तिथि से सभी लाभ दिये जावें जो उससे कनिष्ठ कार्मिकों को प्रदान किये गये हैं। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या 409/2001 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2003 द्वारा खारिज किया गया एवं अधिकरण के आदेश को उचित माना। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरण के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी भी पदोन्नति पाने का हकदार ठहरता है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार वर्ष 2005 में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु एक पदोन्नति स्कीम जारी की गई, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रक्रियानुसार पदोन्नति परीक्षा आयोजित की जायेगी एवं सफल अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी एवं रिक्त पदों के विरूद्ध वरिष्ठतानुसार पदोन्नति प्रदान की जायेगी। विभाग का कथन है कि सफल अभ्यर्थियों के वरिष्ठतानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। विभागीय योजना के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि विभाग द्वारा ऐसी अनुमोदित सूची के पूरा (Exhaust) होने के पश्चात् नई रिक्तियां विज्ञापित की जायेगी। आदेश दिनांक 19.10.2005 का बिंदु संख्या 2 निम्नानुसार है :–

> *''2. विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित सलेबस एवं प्रक्रिया अनुसार पदोन्नति टेस्ट देने पर जो अभ्यर्थी सफल घोषित हो जाते हैं, उनकी वरिष्ठता क्रम में ''अनुमोदित सूची'' तैयार कर जारी कर दी जायेगी। तदानुसार तैयार की गई अनुमोदित सूची में से ही उपलब्ध रिक्त पदों पर एवं आगे होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति दी जायेगी। अनुमोदित सूची में से समस्त अभ्यर्थियों को पदोन्नति मिल जाने के बाद ही अगला पदोन्नति टेस्ट लिया जायेगा।''*

हस्तगण प्रकरण में वर्ष 2014–15 में सफल अभ्यर्थियों की सूची से पदोन्नति देने से एवं सूची पूरी करने से पहले ही वर्ष 2015–16 की रिक्तियां जारी कर पदोन्नति प्रक्रिया की गई। इस विभागीय पदोन्नति योजना वर्ष 2005 के निष्प्रभावी करने का कोई कथन प्रत्यर्थी विभाग ने नहीं किया है। ऐसे में विभागीय व्यवस्था के अनुसार पहले वर्ष 2014–15 की अनुमोदित सूची से पदोन्नति दी जानी चाहिए एवं सूची पूरी (Exhaust) होने के पश्चात् वर्ष 2015–16 की रिक्तियां विज्ञापित की जानी

चाहिये थी। जिसके अभाव में अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की पदोन्नति परीक्षा में शामिल होना पडा।

जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 21.01.2016 को अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध आयोजित पदोन्नति परीक्षा में कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध कंपनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति से संबंधित समस्त अभिलेख पुनः जांच करवाये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से भी सहमत हैं कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उत्तर पुस्तिका परीक्षा वर्ष 2015–16 की प्रतिलिपि अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत कर वर्ष 2015–16 की उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन कर वर्ष 2015–16 की वरिष्ठता प्रदान करते हुये पदोन्नति आदेश प्रसारित किये जाने का अनुरोध प्रत्यर्थी विभाग से किया है। उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांचने के संबंध में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12147/2024 रामपाल यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2148/2024 ताराचंद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निम्नानुसार उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने एवं परिणाम को फिर से घोषित करने के निर्देश उक्त मामले में दिये गये हैं :–

> *"8. Respondents are directed to refer the answer-sheets of both petitioners for re-checking to the Board/Committee and to re-declare the result of petitioners forthwith. Compliance be made within a period of three months."*

अधिकरण ने भी समान प्रकृति के प्रकरणों अपील संख्या 2533/2025, 2575/2025 एवं 2619/2025 में निम्न आदेश पारित किया है :–

> *''8. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश देना समीचीन समझते है कि प्रत्यर्थी विभाग नये बोर्ड का गठन कर एक माह की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने की कार्यवाही सम्पादित करे एवं अपीलार्थीगण उत्तीर्ण पाये जाने की दशा में उनको पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे।*
>
> *9. उपरोक्त अपीलें उक्त प्रक्रम पर लम्बित प्रार्थना पत्रों सहित निस्तारित की जाती है।''*

इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नये पदोन्नति बोर्ड (पूर्व के पदोन्नति बोर्ड के सदस्यों भिन्न) का गठन कर एक माह की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने की कार्यवाही सम्पादित करें। यदि विभाग में मूल उत्तर पुस्तिकाओं का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो तो, अपीलार्थी को सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करायी गई उत्तर पुस्तिकाओं से मूल्यांकन कार्यवाही सम्पादित की जावे और अपीलार्थी उत्तीर्ण पाये जाने की दशा में वरिष्ठतानुरूप कंपनी कमाण्डर के पद के लिये रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाकर अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। साथ ही समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष